फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि0 शाखा जयपुर बनाम भोला चाट भण्डार

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 07 सन् 2026

GCMS No. 2026/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
13.03.2026	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री मानसिंह मीणा प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि0 शाखा जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. भोला चाट भण्डार पता– आर ए सी लाईन के सामने आगरा रोड धौलपुर जिला धौलपुर 328001 2. सहऋणी सूरज शर्मा निवासी– समोना धौलपुर जिला धौलपुर 328025 3. श्रीमती गुड्डी देवी निवासी– समोना राजाखेडा धौलपुर जिला धौलपुर अन्य पता– सम्पती स्थित खसरा नम्बर 610 प्लॉट नम्बर 2 गांव महमदपुर हनुमान मन्दिर के पास, धौलपुर जिला धौलपुर 4. सहऋणी द्वारका प्रसाद निवासी– समोना राजाखेडा जिला धौलपुर 328025 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 31.08.2023 को जरिये ऋण अनुबंध संख्या L9001060136748730 रूपये 1500000/– का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– आवासीय सम्पत्ति स्थित प्लॉट नम्बर 1 खसरा नम्बर 610 गांव महमदपुर हनुमान मन्दिर के पास धौलपुर जिला धौलपुर क्षेत्रफल 161.66 वर्गगज पूर्व दिशा में अन्य प्लॉट, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 1 दक्षिण दिशा में प्लॉट नम्बर 3 ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 10.03.2025 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 15.03.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 1539145/– दिनांक 12.03.2015 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज	

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति स्थित प्लॉट नम्बर 1 खसरा नम्बर 610 गांव महमदपुर हनुमान मन्दिर के पास धौलपुर जिला धौलपुर क्षेत्रफल 161.66 वर्गगज पूर्व दिशा में अन्य प्लॉट, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 1 दक्षिण दिशा में प्लॉट नम्बर 3 जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक ....30/3/2026........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,